पत्र सं०–09 / बजट–11–22 / 2025..........93(9) व

झारखण्ड सरकार

स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग।

प्रेषकः

अजय कुमार सिंह,
अपर मुख्य सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी),
झारखण्ड, राँची।

राँची, दिनांक– 19.11.2025

विषयः–वित्तीय वर्ष 2025–26 में राज्य योजनान्तर्गत मेदिनीराय मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, पलामू के लिए ICU (15 Bed) के क्रय हेतु कुल 1,28,00,000 / –(एक करोड़ अठाईस लाख) रूपये मात्र की योजना पर प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्राचार्य, मेदिनीराय मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, पलामू के पत्रांक–740 दिनांक–18.08.2025 से प्राप्त अधियाचना के आलोक में वित्तीय वर्ष 2025–26 में राज्य योजनान्तर्गत मेदिनीराय मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, पलामू के लिए ICU (15 Bed) के क्रय हेतु कुल 1,28,00,000 / –(एक करोड़ अठाईस लाख) रूपये मात्र की योजना पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड की अधिसूचना सं0–1269 दिनांक–21.09.2023 के आलोक में योजना की स्वीकृति प्रदान की जा रही है। राशि का आवंटनादेश अलग से निर्गत किया जाएगा।

3. आवंटित राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी प्राचार्य, मेदिनीराय मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, पलामू होंगे तथा नियंत्री पदाधिकारी अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची होंगे।

4. राशि का व्यय निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा पूरी पारदर्शिता एवं सत्यनिष्ठा के साथ किया जायेगा।

5. योजना हेतु व्यय का विकलन मुख्य शीर्ष–4210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय–01–शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ–110–अस्पताल तथा औषधालय–45–मेडिकल कॉलेज एवं 500 शय्यावाले अस्पतालें–आधार भूत संरचना–01–मेडिकल कॉलेज और 500 बिस्तर वाले अस्पताल, नवीनीकरण और मरम्मत सहित बुनियादी ढ़ांचा का निर्माण, ड्रग्स, मशीन उपकरण, फर्नीचर, मेटैरियल्स आपूर्ति आदि की खरीद–03–प्रशासनिक व्यय–36–चिकित्सीय आपूर्ति (विपत्र कोड 20एस–4210–01–110–45–01–03–36) से किया जाएगा

6. राशि की निकासी संबंधित कोषागार से की जायेगी।

7. किसी भी परिस्थिति में दायित्त्व उत्पन्न नहीं किया जाएगा।

8. राशि की निकासी वित्त विभाग की परिपत्र सं0–2561, दिनांक–17.04.98 एवं समय–समय पर निर्गत अन्य परिपत्रों के अधीन की जाएगी।

9. झारखण्ड वित्तीय नियमावली (भाग–1) के नियम 473 एवं 475 में विहित निदेश / वित्तीय नियमावली बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में विहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाना संबंधीत निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का दायित्त्व होगा।

(आनन्द कुमार सिन्हा) अवर सचिव।	(ललित मोहन शुक्ला) संयुक्त सचिव।	(अजय कुमार सिंह) अपर मुख्य सचिव।

93(9)व
19/11/2025

(29)

10. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित शीर्षान्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार महालेखाकार, झारखण्ड, राँची के साथ निश्चित रूप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे तथा प्रगति प्रतिवेदन ऑनलाईन (वित्तीय एवं भौतिक) प्रत्येक माह की 10वीं तारीख तक विभाग को अवश्यमेव उपलब्ध कराया जाएगा।

11. प्रस्ताव पर आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

विश्वासभाजन

(अजय कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव।

ज्ञापांकः—09/बजट—11—22/2025 93(9)व राँची, दिनांकः 19.11.2025

प्रतिलिपिः—प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग, झारखण्ड, रांची/संबंधित प्रमण्डलीय आयुक्त, झारखण्ड/संबंधित उपायुक्त, झारखण्ड/प्राचार्य/अधीक्षक, मेदिनीराय मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, पलामू/संबंधित सिविल सर्जन, झारखण्ड/आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, स्वा0चि0शि0 एवं प0क0 विभाग, झारखण्ड/संबंधित जिला कोषागार पदाधिकारी, झारखण्ड/अपर मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, स्वा0चि0शि0 एवं प0क0 विभाग, झारखण्ड/प्रभारी पदाधिकारी पी0एम0यू0 कोषांग, स्वा0चि0शि0 एवं प0क0 विभाग, झारखण्ड/योजना बजट प्रशाखा के कम्प्यूटर ऑपरेटर, स्वा0चि0शि0 एवं प0क0 विभाग, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(आनन्द कुमार सिन्हा) अवर सचिव।	(ललित मोहन शुक्ला) संयुक्त सचिव।	(अजय कुमार सिंह) अपर मुख्य सचिव।

93(9)व
19/11/2025